न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 38 / 2020

1 महराज खां पुत्र हमीद खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नानू खां पुत्र अजीम खां।
2 यासीन खां पुत्र कालू खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 गुलाब बानो पुत्री कालू खां जाति कायमखानी निवासी नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल पत्नी भंवरू खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला नागौर।
4 अजमेरी खां पुत्र अस्त अली खां।
5 मुनीम खां पुत्र फरीद खां।
6 सरवर खां पुत्र सुल्तान खां।
7 मुनीम खां पुत्र हमीद खां।
8 लाल खां पुत्र गन्नी खां।
9 सिकन्दर खां पुत्र गन्नी खां।
10 मुराद खां पुत्र गन्नी खां।
11 रमजान खां पुत्र गन्नी खां।
12 जरीबन बानो बेवाह गन्नी खां।
13 कामिनी पुत्री गन्नी खां।
14 हाजरा बानो पुत्री गन्नी खां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 नानी बानो पुत्री गन्नी खां समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
16 सुशीला पत्नी सांवरमल।
17 राजूराम पुत्र गोरूराम समस्त जाति नायक निवासीगण नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 सोनी बानो पत्नी भंवरू जाति कायमखानी मुसलमान निवासी नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
19 ईदगाह मस्जिद कायमखानी समाज ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सदर।
20 सलीम खां पुत्र कादर खां।
21 अयूब खां पुत्र रहीम खां समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
22 पटवारी हल्का नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
23 उप पंजियक व उप तहसीलदार उप तहसील कार्यालय ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
24 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13.02.2020 न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के द्वारा बउनवानी महराज खां बनाम नानू खां आदि प्रकरण संख्या 34/2019 जिसके द्वारा वाद को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निरस्त किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 329/1 से 329/8 का विधिवत सीमाकन नही होने पर अपीलांट को बेदखल नही करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट की ओर से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के द्वारा जिस आदेश दिनांक 13.02.2020 के द्वारा अपीलांट का दावा निरस्त किया गया है उस आदेश में धारा 11 सीपीसी को आधार मानकर उक्त दावा खारिज किया है जबकि इस दावे में धारा 11 सीपीसी का ना तो गैर अपीलकर्ता संख्या 1 का कोई आवेदन ही था तथा ना ही पूर्व वाद में व वर्तमान वाद में पक्षकार ही समान थे ना ही अनुतोष समान था फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा धारा 11 सीपीसी के प्रावधानो का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व आधारो पर उक्त दावा निरस्तीकरण का जो आदेश दिया गया है वह निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के द्वारा इस प्रार्थना पत्र की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर

सुनवाई के समय यह तथ्य अंकित करके भी विधिक भूल कारित की है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 को ही इस दावे में मुख्य आधार व वाद कारण दर्शित किया है जो पूर्णतया गलत है ना तो इस वाद में सीमाज्ञान रिपोर्ट को निरस्तीकरण करने का ही कोई अनुतोष है तथा ना ही सीमाज्ञान रिपोर्ट सही है या गलत को इस वाद में कोई अनुतोष चाही है बल्कि मुख्य अनुतोष अपीलांट/वादी की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है लेकिन विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर वाद को बिना वाद कारण के ही प्रस्तुत किया हुआ होना मान्य कर उक्त आदेश दिनांक 13.02.2020 पारित किया है। विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2020 का अवलोकन किये जाने से भी प्रारम्भिक तौर पर ही यह प्रमाणित हो जाता है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली का ना तो अवलोकन किया गया ना ही वाद पत्र को पढ़ा गया ना ही गैर अपीलकर्ता संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब का ही कोई अवलोकन किया गया बल्कि बिना पत्रावली का अवलोकन किये सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 को आधार मानकर दावा प्रस्तुत करना उल्लेखित कर दावे को बिना वाद कारण के ही होना मान्य कर उक्त दावा निरस्त कर दिया गया है जबकि वाद पत्र की मद संख्या 10 में वाद कारण दिनांक 25.06.2019 का अंकित होना उल्लेखित है तथा उसके पश्चात निरन्तर जारी रहने का अंकन किया गया है इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर केवल मात्र गैर अपीलकर्ता संख्या 1 नानू खां के दबाव में आकर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया है जो कि निरस्त होने योग्य है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खसरा नम्बर 200 रकबा 1.76 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 327,328,329 ,330 है जो पूर्व खसरा नम्बर 200 के विभाजन से सभी खातेदारों का अलग–अलग खसरा नम्बर व बट्टा कायम हो गया जिसके तहत वादी महराज को खसरा नम्बर 327,329/4 कुल रकबा 0.5396 हैक्टेयर की खातेदारी अलग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हो गयी, प्रतिवादी संख्या 1 नानू खां के नाम खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 हैक्टेयर की खातेदारी अलग से दर्ज हो गयी इसी अनुसार सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज, काश्त है उक्त विभाजन की डिक्री विचारण न्यायालय से जारी की गयी थी जिसके पश्चात समस्त खातेदारान का विभाजन विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से हुआ जिसका नामान्तकरण संख्या 1580 दिनांक 28.07.2015 के द्वारा खातेदारी अलग–अलग बट्टा नम्बर, खसरा नम्बर में दर्ज हुई तब से सभी खातेदार काबिज काश्त हुए जिसके पश्चात वादी ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 हैक्टेयर भूमि भाग का सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही की तो सीमाज्ञान रिपोर्ट में वादी द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि को दबाये जाने की रिपोर्ट आयी है जिसके पश्चात वादी ने उक्त कार्यवाही से बचने के लिये विचारण न्यायालय में गलत व मनमर्जी का दावा प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जिनको ऐसा करने का कोई विधिक हक, अधिकार नहीं है तथा कानूनी रूप से भी उनका वाद विधि द्वारा वर्जित है, वादी का वाद सद्भाविक नहीं है, सीमाज्ञान की कार्यवाही से बचने के लिये वादी ने उपरोक्त वाद संस्थित किया है जिसका उल्लेख वादी ने अपने वद पत्र की मद संख्या 2 में भी उल्लेख किया है, बंटवारा निर्णय, डिक्री विचारण न्यायालय के आदेश से जारी किया गया है जिस पर वादी ने माननीय राजस्व मण्डल तक अपीलें की है लेकिन बंटवारा एकदम से वैध है जिसमें कोई त्रुटि नही पायी गयी है व वादी ने अपने वाद पत्र में दिनांक 19.06.2019 की सीमाज्ञान रिपोर्ट को ही अपने वाद पत्र में मुख्य आधार व वाद कारण दर्शित किया है जबकि उक्त दिनांक 19.06.2019 की सीमाज्ञान रिपोर्ट कोई वाद कारण नही हो सकती अगर वादी को सीमाज्ञान रिपोर्ट से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो पुनः सीमाज्ञान करवाने के लिये स्वतंत्र है, वादी को वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है महज सीमाज्ञान कार्यवाही से बचने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल. डब्लयू 2008(2) पेज 1390 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खसरा नम्बर 200 रकबा 1.76 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 327,328,329 ,330 है जो पूर्व खसरा नम्बर 200 के विभाजन से सभी खातेदारों का अलग–अलग खसरा नम्बर व बट्टा कायम हो गया जिसके तहत वादी महराज को खसरा नम्बर 327,329/4 कुल रकबा 0.5396 हैक्टेयर की खातेदारी अलग हो गयी, प्रतिवादी संख्या 1 नानू खां के नाम खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 हैक्टेयर की खातेदारी अलग से दर्ज हो गयी इसी अनुसार सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज, काश्त है उक्त विभाजन की डिक्री विचारण न्यायालय से जारी की गयी थी जिसके पश्चात समस्त खातेदारान का विभाजन विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से हुआ जिसका नामान्तकरण संख्या 1580 दिनांक 28.07.2015 के द्वारा खातेदारी अलग–अलग बट्टा नम्बर, खसरा नम्बर में दर्ज हुई तब से सभी खातेदार काबिज काश्त हुए जिसके पश्चात वादी ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 हैक्टेयर भूमि भाग का सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही की तो सीमाज्ञान रिपोर्ट में वादी द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि को दबाये जाने की रिपोर्ट आयी है जिसके पश्चात वादी ने उक्त कार्यवाही से बचने के लिये विचारण न्यायालय में गलत व मनमर्जी का दावा प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया है जिनको ऐसा करने का कोई विधिक हक, अधिकार नहीं है तथा कानूनी रूप से भी उनका वाद विधि द्वारा वर्जित है, वादी का वाद सद्भाविक नहीं है, सीमाज्ञान की कार्यवाही से बचने के लिये वादी ने उपरोक्त वाद संस्थित किया है जिसका उल्लेख वादी ने अपने वद पत्र की मद संख्या 2 में भी उल्लेख किया है, बंटवारा निर्णय, डिक्री विचारण न्यायालय के आदेश से जारी किया गया है जिस पर वादी ने माननीय राजस्व मण्डल तक अपीलें की है लेकिन बंटवारा एकदम से वैध है जिसमें कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

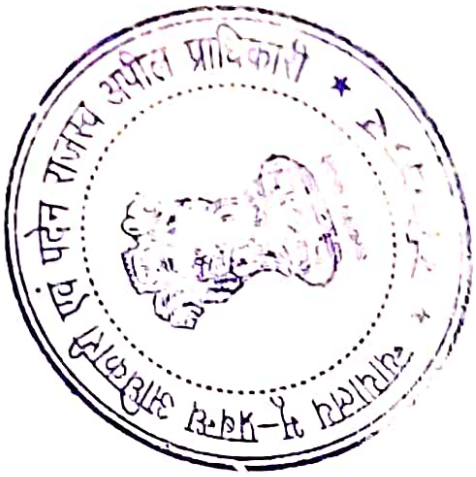

त्रुटि नही पायी गयी है व वादी ने अपने वाद पत्र में दिनांक 19.06.2019 की सीमाज्ञान रिपोर्ट को ही अपने वाद पत्र में मुख्य आधार व वाद कारण दर्शित किया है जबकि उक्त दिनांक 19.06.2019 की सीमाज्ञान रिपोर्ट कोई वाद कारण नही हो सकती अगर वादी को सीमाज्ञान रिपोर्ट से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो पुनः सीमाज्ञान करवाने के लिये स्वतंत्र है, वादी को वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है महज सीमाज्ञान कार्यवाही से बचने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर